

प्रेषक,

अशोक कुमार दुबे-II

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

एफ.टी.सी. द्वितीय, देवरिया।

सेवा में,

माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, बुलन्दशहर (वर्ष 2020-21)

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,

इलाहाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश महोदय,

देवरिया।

**विषय- वर्ष 2020-21 में जनपद न्यायाधीश बुलन्दशहर के द्वारा दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के उन्नयन (upgrage) हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन के संबंध में।**

माननीय न्यायमूर्ति महोदय,

ससम्मान् निवेदन करना है कि मैं दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 के वर्ष में अपर जिला जज (त्वरित न्यायालय) कक्ष संख्या-3 के पद पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विज्ञप्ति के अनुसार नियुक्त था। महोदय उक्त न्यायालय में कार्यरत रहने के दौरान COVID-19 (कोरोना संक्रमण) का दौर काफी समय तक रहा जिस कारण सम्पूर्ण वर्ष में न्यायिक कार्यवाही बाधित रही और कम न्यायिक कार्य हुआ फिर भी उक्त परिस्थितियों में भी मेरे द्वारा पूर्ण मनोयोग से न्यायिक कार्य किया गया और अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करने का सम्पूर्ण प्रयास किया गया है। (जैसा कि मेरे स्वनिर्धारण प्रपत्र वर्ष 2020-21 के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है)।

माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक अधिकारियों के द्वारा न्यायिक कार्य के उपरान्त निर्धारित मानक (1200 यूनिट कोटा) को पूर्ण करते हुए मेरे द्वारा 1215.34 यूनिट कोटा दिया गया है। जिसका उल्लेख माननीय जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर के द्वारा स्वतः अपनी टिप्पणी (remarks) के कॉलम संख्या-01(g) में किया गया है। इसके अलावा महोदय मेरे द्वारा सम्पूर्ण प्रयास के साथ न्यायालय की कई प्राचीनतम पत्रावलियों का भी निस्तारण किया गया है तथा दीवानी व आपराधिक मामलों को मिलाकर कुल 51 वादों को गुणदोष पर निर्णय पारित करते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया गया है। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के मामलों का भी निस्तारण करने का पूर्ण प्रयास मेरे द्वारा किया गया।

माननीय महोदय साथ ही यह भी निवेदन करना है कि मेरे न्यायालय में कभी भी कोई प्रकीर्ण प्रकार का न्यायिक कार्य यथा जमानत प्रार्थना पत्र या अन्य नए प्रकार के प्रार्थना पत्रों के दायरे अथवा निस्तारण संबंधी कार्य स्थानांतरित होकर नहीं आए, यदि इस प्रकार के कार्य या अन्य कोई विशेष प्रशासनिक कार्य का दायित्व मुझे सौंपा जाता तो निश्चित रूप से मैं उन्हें भी सही व उचित तरीके से निपटाने व निस्तारित करने में सक्षम होता और मेरा कोटा (unit) और भी अधिक हो सकता था। यद्यपि कि उक्त प्रकार के न्यायिक अथवा प्रशासनिक कार्य दिये जाने का सम्पूर्ण विवेकाधिकार श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय का है।

माननीय महोदय यह भी निवेदन करना है कि कभी भी मेरे किसी कार्य-व्यवहार, आचरण, सुचिता अथवा पारदर्शिता के संबंध में खराब अथवा अनुचित होने संबंधी कोई भी अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अथवा अन्यथा लिखित व मौखिक रूप से कोई सूचना आदि नहीं दी गयी और न ही कोई प्रतिकूल बात कभी कही गई जिसका कारण भी है कि, यह बात मेरे स्वयं के द्वारा एक न्यायिक अधिकारी की गरिमा, आचरण, कार्य-व्यवहार व न्यायाचार को स्वतः ख्याल में रखते हुए न्यायिक कार्य आदि निष्पादित किए गए हैं।

माननीय महोदय यह दुःख का विषय है कि उपरोक्त रूपेण कही गयी समस्त बातों व तथ्यों तथा मेरे स्वः आकलन प्रपत्रों के आधार पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय डा० अजय कृष्ण विश्वेश जी के द्वारा अपने टिप्पणी (remarks) के कॉलम संख्या-2 में overall assessment of the merit of the officer के समक्ष मात्र "good" की श्रेणी में रखते हुए आकलन किया गया है और वार्षिक प्रविष्टि दी गयी है। जबकि जनपद बुलन्दशहर में मेरे ही साथ नियुक्त कई न्यायिक अधिकारियों को जिनका कि निर्धारित कार्य का मानक (quota), न्यायिक कार्य, कार्य, व्यवहार, आचरण आदि मेरे ही समान रहा है, उनमें से कई अधिकारियों को "Outstanding" व "very good" की श्रेणी में आकलन करते हुए वार्षिक प्रविष्टि जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दी गयी है जो कि मेरे स्वयं के समझ से परे है।

माननीय महोदय को ससम्मान यह भी अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा इस संबंध में एक परिपत्र संख्या-**No.C-671/CF(B)/2021:Dated: Allahabad:July 17,2021** भी जारी करते हुए श्रीमान् जनपद न्यायाधीश व अन्य ऐसे प्राधिकारी जिनके द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि लिखी जानी हो, उन्हें इस संबंध में सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वार्षिक प्रविष्टि दिये जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

माननीय महोदय निवेदन करना है कि जनपद बुलन्दशहर में उक्त वर्ष में तैनाती के दौरान मेरे द्वारा सम्पूर्ण मनोयोग व प्रयास से कार्य करने व स्वयं के कार्य-व्यवहार, आचरण व न्यायाचार आदि को सही व उचित रखने के बावजूद भी मुझे मात्र "good" की वार्षिक प्रविष्टि दिया जाना तथा मेरे ही साथ अन्य अधिकारियों को "Outstanding" व "very good" की वार्षिक प्रविष्टि दिये जाने से मेरे मनोबल को मेरे आत्मविश्वास को व न्यायिक कार्य करने के प्रति मेरी निष्ठा व क्षमता को आघात पहुँचाता है तथा मुझ न्यायिक अधिकारी के उज्ज्वल भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

अतः माननीय न्यायमूर्ति महोदय से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि वर्ष 2020-21 में श्रीमान जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर डा०अजय कृष्ण विश्वेश जी के द्वारा मुझे दी गयी वार्षिक प्रविष्टि overall assessment of the merit of the Officer के कॉलम में लिखी गयी "good " की प्रविष्टि को उन्नयन (upgrade) करने की महती कृपा करें। प्रार्थी सम्पूर्ण जीवन आपका हृदय से आभारी रहेगा।

आदर सहित।

दिनांक-31.08.2021

भवदीय

(अशोक कुमार दुबे-II)

JO CODE- UP1643

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
एफ.टी.सी. द्वितीय, देवरिया।

जनपद न्यायाधीश देवरिया  
संख्या 1003/2021/दिनांक 31.08.2021  
अधिकारी  
जनपद न्यायाधीश  
देवरिया  
31.08.2021